

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, फास्ट ट्रेक मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री मुकेशनाथ

विपक्षी : नरेन्द्रनाथ

किस्म मुकदमा – 53, 88 रा.का. अधिनियम

पत्रावली संख्या : 36/12

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 11.12.19</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार वादग्रस्त भूमि में वादी मुकेशनाथ द्वारा अपनी भूमि का विक्रय कर दिया है। अतः वादी द्वारा अपनी भूमि का विक्रय किया जाने से अब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती हैं। अतः वादी का वाद इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाकर खारिज किया जाता है।</p> <p>पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(अक्षय गोदारा IAS) सहायक कलक्टर (FT) मावली</p>	

